



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012023-242073
CG-DL-E-18012023-242073

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]
No. 287]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 18, 2023/पौष 28, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 18, 2023/PAUSHA 28, 1944

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2023

का.आ. 301(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 4603(अ), तारीख 18 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में "केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) की खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य" शीर्ष के अधीन, क्रम संख्यांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		
"11.	डॉ. अभिजीत मित्रा पशुपालन आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।	सदस्य"।

[फा. सं. के-12052-5(5251)/12/2016-एलएच-जिल्द(2)(ई-1113)]

उपमन्यु बसु, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 4603(अ), तारीख 18 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार का.आ. 4580(अ) तारीख 28 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2023

S.O. 301(E).— In exercise of the powers conferred by sub sections (3) and (6) of section (3) of section 3 of the Indian Veterinary Council Act, 1984, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, vide number S.O. 4603(E) dated the 18th December, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 18th December, 2020, namely:-

In the said notification under the heading "member nominated by the Central Government under clause (d) of sub section (3) of Section 3", for serial number 11 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively substituted be namely:

Members nominated by the Central Government under clause (d) of sub-section (3) of Section 3		
"11.	Dr. Abhijit Mitra Animal Husbandry Commissioner, Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying	Member".

[F. No. K-12052-5(5251)/12/2016-LH-Vol (2)(E-1113)]

UPAMANYU BASU, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 4603(E) dated, the 18th December, 2020 and was last amended vide S.O. 4580(E), dated the 28th September 2022.